

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

थी
 किस्म मुकदमा
 अम्बालाल विपक्षी जेमा
 वाहे पत्रावली संख्या 138/22 सन्

क्रं	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
------	-----------------	---

8/8/24
 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप
 के लिये मौका चाहते हैं। अतः
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 24/10/24
 को पेश हो।

(SDO) मावली

24/10/24
 पत्रावली जेमा हुई। अति. वारी 26/10/24 उप।
 पु.स. 6, 7 को विस्तार देना बाकी दिलवाई गई। अनुपस्थित
 रहे। अतः इनके विरुद्ध एक तरफ का कार्यवाही अग्रज में
 लाई जाती है। अति. वारी द्वारा वारिस का प्रतीक भवकर
 खादा। अति. भवकर दिनांक 26/10/24 को पेश हो।
 का प्रतीक 26/10/24 दिनांक 26/10/24 को पेश हो।

Ex-6, 7
 अति. वारी
 का प्रतीक

26/12/24
 पत्रावली पेश 5- वकील प्राथी/अपीलाष्ट/
 प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन
 अधिकारी याद. अतः अवसर/अग्रज/विदिग
 में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश की बालना में
 नं. 10/11/25 को पेश हो
 210

10/1/25
 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप
 के लिये मौका चाहते हैं। अतः
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 14/2/25
 को पेश हो।

SDO मावली

14/2/25
 आज दिनांक की वार एसोसियेशन मावली
 में कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया।
 अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक....
 14/2/25 को पेश हो।

14/4/25
 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप
 के लिये मौका चाहते हैं। अतः
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 8/4/25
 को पेश हो।

SDO मावली



08/04/25

पत्रावली पैरा हुई। अधिवक्ता वादीगण मय
वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण मय
वादीगण को निरन्तर आवाजे दिलवाई गई।
समय साँच 5:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता
वादीगण मय वादीगण अब तक अनुपस्थित हैं।
अतः अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण अनुपस्थित
रहने पर वादीगण का वाद अफम हाजरी अफम
पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल
शुमार लेकर नम्बर से कम थे।
निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर (SDO)
मावली, जिला उदयपुर